न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 46 / 2022
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 18.11.2022

निर्णय दिनांक : 15.05.2022

अनवान

1. श्रीमती शानुदेवी पुत्री भूरा पत्नी सुखलाल जाति जाट निवासी भादला हाल आगरिया की वाडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

.....**प्रार्थीया**

बनाम

1. रामनारायण पुत्र भुरा जाति जाट
2. श्रीमती सीता पत्नी लक्ष्मणलाल जाति गाडरी
3. श्रीमती सीता पत्नी रामलाल जाति गुर्जर
4. निवासीयान निवासी भादला, तहसील आमेट जिला राजसमंद
5. शाखा प्रबंधक महोदय, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा रावों का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमंद
6. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमंद

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा**
विपक्षी की ओर से :– **अधिवक्ता गिरीश चन्द्र पुरोहित**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 आपस में सगे भाई बहिन होकर स्व. भूरा जी की जायन्दा संतान है। दिनांक 01.02.2022 को प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 के पिता भूरा जी की मृत्यु हो चुकी है। स्व. भेरा जी की चन्द कृषि भूमियां ग्राम भादला, पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित थी, जिसके खाता सं. नया 395 पुराना 253 आराजी नं. 1453 रकबा 3.8600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 3.8600 हैक्टेयर, खाता सं. नया 380 पुराना 253 आराजी नं. 1454 रकबा 1.9500 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर, खाता सं. नया 253 पुराना 245 आराजी नं. 633 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नं. 645 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, आराजी नं. 647 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4300

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

हैक्टेयर है। उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थीया की पैतृक संपत्ति है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का 1/2 एवं विपक्षी सं. 1 का 1/2 हिस्सा हक में आता है। इसी अनुसार प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीया यही समझ रही थी कि भूरा जी की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी जमीन विरासत के आधार दर्ज कर दी जाएगी, किन्तु प्रार्थीया के पिता स्व. भूरा जी ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त वादग्रस्त पैतृक भूमियों में से प्रार्थीया का हिस्सा भी विपक्षी सं. 1, 2 व 3 को हस्तान्तरित कर दिया, जो कि अवैध एवं शून्य है। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को होने ही नहीं दी। प्रार्थीया के पिता स्व. भूरा जी द्वारा किए गए दान पत्र एवं विक्रय प्रार्थीया के हक, अधिकारो के मुकाबले शुय से ही शून्य एवं अवैध है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का हक किसी को भी हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया अपने दादाजी के खातेदारी की भूमियों में जन्म से ही हक, अधिकार रखती है। प्रार्थीया के हक अधिकार को बिना प्रार्थीया की सहमति के नहीं छीना जा सकता। उक्त वर्णित भूमियों की प्रत्येक आराजी में प्रार्थीया 1/2 हिस्से की हकदार है, जिससे वह अपने खातेदारी की घोषित करवाने की अधिकारी है। विपक्षी सं. 1, 2 व 3 का उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में तनहा खातेदार के रूप में गलत नाम दर्ज होने से वह इसका नाजायज फायदा उठा रहे है एवं प्रार्थीया के हक की भूमियों को हस्तान्तरित करके प्रार्थीया को उनके हक, अधिकारों से महरूम करना चाहते है। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा शीघ्र रोका रोका जाना आवश्यक है। विपक्षी सं. 4, 5 व 6 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमियों के संबंध में किसी प्रकार से हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, किसी अन्य के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करे, नामान्तरकरण फैसल नहीं करे, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अतः प्रार्थी की निम्न प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक, जब तक वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हो जावे तब तक विपक्षीगण उक्त भूमियों को किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरण नहीं करे। प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। विपक्षी सं. 4, 5 व 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमियों के संबंध में किसी प्रकार का विक्रय पत्र या अन्य दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खोले, नामान्तरकरण फैसल नहीं करे तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता गिरीश चन्द्र पुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता सं. 395, 380, 253 की फोटोकॉपी, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, विक्रय विलेख की फोटोप्रति, उपहार विलेख की फोटोप्रति व खसरा मिलान की प्रति प्रस्तुत की।

पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की पैतृक संपत्ति है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा हक में आता है। स्व. भूरा जी ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त वादग्रस्त पैतृक भूमियों में से प्रार्थीया का हिस्सा भी विपक्षी सं. 1, 2 व 3 को हस्तान्तरित कर दिया, जो कि अवैध एवं शून्य है। प्रार्थीया अपने दादाजी के खातेदारी की भूमियों में जन्म से ही हक, अधिकार रखती है। प्रार्थीया के हक अधिकार को बिना प्रार्थीया की सहमति के नहीं छीना जा सकता। विपक्षी सं. 1, 2 व 3 का उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में

न्यायालय सहायक कलक्टर ५५
उपखण्ड अधिकारी आमेट

जिला-राजसमन्द

तनहा खातेदार के रूप में गलत नाम दर्ज होने से वह इसका नाजायज फायदा उठा रहे है एवं प्रार्थीया के हक की भूमियों को हस्तान्तरित करके प्रार्थीया को उनके हक, अधिकारों से महरूम करना चाहते है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा शीघ्र रोका रोका जाना आवश्यक है। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुये सहमती जाहिर की।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता की सहमति अनुसार ग्राम भादला पटवार हल्का भादला, तहसील आमेट में स्थिति भूमि जिसके जिसके खाता सं. नया 395 पुराना 253 आराजी नं. 1453 रकबा 3.8600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 3.8600 हैक्टेयर, खाता सं. नया 380 पुराना 253 आराजी नं. 1454 रकबा 1.9500 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर, खाता सं. नया 253 पुराना 245 आराजी नं. 633 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नं. 645 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, आराजी नं. 647 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट
(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.05.2024** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट
(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)